न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1017–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर के प्रकरण कमांक 39/बी–105/2012–13/48(ख) .

.....

मैसर्स एन.वी.आई.एस.टेक्नालॉजिस प्रा0लि0
द्वारा डायरेक्टर
अम्बरीश केला पिता श्री गोपीलाल केला
पता 141–बी, इलेक्ट्रानिक काम्प्लेक्स,
परदेशीपुरा, इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–म0प्र0राज्य शासन द्वारा जिला पंजीयक
एवं मुद्रांक संग्राहक (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प)
इंदौर

2–मैनेजिंग डायरेक्टर म0प्र0
औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि0
इंदौर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री अनिल कुमार जैन, अभिभाषक–आवेदक
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8/9/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि महालेखाकार ग्वालियर की निरीक्षण टीम द्वारा वर्ष 2011–12 में उपपंजीयक कार्यालय इन्दौर का निरीक्षण कर निरीक्षण टीप वर्ष 2011–12 की कंडिका 3 में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के मध्य निष्पादित लीजडीड को आक्षेपित किया गया । महालेखाकार की निरीक्षण टीप की टीप के पालन में उपपंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज उचित मूल्यांकन हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 39/बी–105/2012–13/48(ख) दर्ज कर दिनांक 26–12–2013 को आदेश पारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क एवं कमी पंजीयन शुल्क रुपये 48,051/– एवं अधिनियम की धारा 48(1)(ख) के अन्तर्गत 5000/– शास्ति अवधारित करते हुये कुल 53,051/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) महालेखाकार की अंकेक्षण टीप के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही नहीं की जा सकती है । प्रश्नाधीन दस्तावेज पंजीयन के समय उपपंजीयक द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है । अतः बाद में उपपंजीयक द्वारा आपत्ति नहीं ली जा सकती है एवं मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक एफ/बी–4–31–2010–2–5(28) दिनांक 8–12–2012 के प्रकाश में संशोधित पटटा विलेख पर्याप्त रूप से मुद्रांकित है । संशोधित पटटा विलेख से मूल पटटा विलेख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि उसकी निरन्तरता में ही संशोधित पटटा विलेख निष्पादित हुआ है, क्योंकि संशोधित पटटा विलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि पटटागृहीता का नाम स्वामित्व व उत्पाद में परिवर्तन नहीं किया है और न ही पट्टे की शर्तो में परिवर्तन होगा ।

(2) जब कोई अधिनियम की धारा 33 व 35 के अन्तर्गत परिबद्ध नहीं किया गया है तब अधिनियम की धारा 40 व 48(ख) आकर्षित नहीं होती है और प्रश्नाधीन दस्तावेज परिबद्ध नहीं किया गया है ।

(3) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित करने में प्रश्नाधीन विलेख की अंतरवस्तु पर विचार नहीं किया जाकर उक्त शीर्षक के आधार पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है ।

तर्क के समर्थन में 2004 आरएन 128 व 1984 आरएन 161 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रश्नाधीन विलेख से मूल पटटा विलेख में परिवर्तन हुआ है इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य एवं अवधारित शास्ति उचित है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन विलेख पर कम मुद्रांक शुल्क अदा किया गया था । अतः महालेखाकार की निरीक्षण टीप के पालन में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित करने में वैधानिक एवं नियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन संशोधित विलेख द्वारा औद्योगिक इकाई के नाम, स्वामित्व, उत्पाद एवं अन्य देयताओं में परिवर्तन किया गया है,अतः प्रश्नाधीन विलेख के सारवान परिवर्तन की श्रेणी में मानकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांतों के प्रकाश में आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इस कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश हस्तेक्षप योग्य नहीं है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह आधार भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन संशोधित विलेख से मूल निष्पादित विलेख में सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है । उनका यह तर्क भी

मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा शीर्षक के आधार पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है और विषयवस्तु पर निर्धारण नहीं किया गया है। जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विलेख की विषयवस्तु पर विचार कर ही आदेश पारित किया गया है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर